बिहार सरकार

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला आपूर्ति शाखा)

आम सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का संकल्प–963 दिनांक–20.01.2016 एवं परिपत्र संख्या–2342 दिनांक 15.02.2026, विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.03.2016 तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2905 खाद्य, दिनांक 06.07.2020, 3791 खाद्य, दिनांक 26.08.2022, पत्रांक 1070 खाद्य, दिनांक 13.03.2023 तथा बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 एवं सरकार के विशेष सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार पटना के पत्रांक प्र0 07–ज0वि0प्र0(अनुज्ञप्ति)–05/2025 1/235208/2025 दिनांक 30.04.2025, ज्ञापांक–प्र06–विविध– बैठक 49/2025, 818/दिनांक 28.05.2025 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में खगड़िया जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल यथा सदर खगड़िया एवं गोगरी में जन वितरण प्रणाली की दुकानों की कुल रिक्तियों निम्न प्रकार है :–

क्र	अनुमंडल का नाम	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		पि0 वर्गो की महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला	अनारक्षित		कुल रिक्ति
		अनु0 जाति	अनु0 जाति महिला	अनु0जन जाति	अनु0 जनजाति महिला	अ0पि0 वर्ग	अ0पि0 वर्ग महिला	पिछड़ा वर्ग	पि0 वर्ग महिला				अना0	अना0 महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	सदर अनुमंडल	02	01	03	01	06	03	05	03	01	03	02	13	07	50
2	गोगरी अनुमंडल	13	04	00	00	10	05	06	04	04	05	03	19	10	83

इस प्रकार कुल–133 (एक सौ तैंतीस) जन वितरण प्रणाली दुकानों के रिक्ति हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते है।

1. व्यक्ति विशेष से विहित अनुसूची–01 में तथा विहित अनुसूची–02 में स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/ पूर्व सैनिकों की सहयोगी समितियों के लिए आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी के कार्यालय में दिनांक 10.12.2025 से 31.12.2025 के संध्या 05:00 बजे तक सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। मूल आवेदन को सभी प्रमाण पत्रो/कागजातों स्वअभिप्रमाणित प्रति सहित निबंधित डाक से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को भेजेंगे।
2. अनुज्ञप्ति निर्गत करने मे निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जायेगी। (i) स्वयं सहायता समूह (ii) महिलाओं की सहयोग समितियो (iii) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों (iv) शिक्षित बेरोजगार (v) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी।
3. अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध सभी वर्ग के आवेदक आवेदन दे सकेंगे एवं चयन पूर्णरूपेण मेधा के आधार पर होगा और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।
4. पिछड़े वर्गो की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की महिलाऐं मानी जायेगी।
5. उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषण क्षेत्र में रखना होगा एवं विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी की पूर्वानुमति से अपवाद स्वरूप पोषण क्षेत्र से बाहर लाभुकों की सुविधा को ध्यान में रखकर उचित मूल्य की दुकान की स्वीकृति दी जा सकेगी।
6. यदि अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिये अनुसूचित जनजाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिये अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे पिछड़े वर्ग के आवेदक एवं तद्नुसार इसके विपरीत क्रम (Vice Versa) द्वारा भरा जायेगा।
7. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक का मैट्रिक पास और वयस्क होना आवश्यक है। कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों के नाम से उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी तथा इनका संचालन इनकी प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा।
9. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प सं0–962 दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगजनों को 04% क्षैतिज आरक्षण एवं पत्रांक–2226 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पौत्र/पौत्री/नाती/नातिन को 02% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय होगा।
10. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निर्हताएँ :–
    - (i) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी) पति पत्नी पुत्र, पुत्रवधू और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा मे आयेगे।
    - (ii) मुखिया सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (disqualified) रहेंगे।
    - (iii) आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकटतम संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
    - (iv) अवयस्क, पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
    - (v) आवश्यक वस्त अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम, 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।
    - (vi) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
10. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्ण अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबंधित माननीय न्यायालय में लम्बित मामलों में पारित अंतिम आदेश के आलोक में रिक्ति एवं कोटि में परिवर्त्तन हो सकता है जिसके आलोक में चयन समिति को आवेदन अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
12. अनुमंडलवार/प्रखंडवार/पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्यिॉ जिला आपूर्ति कार्यालय, सभी अनुमंडल यथा (सदर अनुमंडल, गोगरी अनुमंडल) के सूचनापट्ट पर खगड़िया जिले के बेवसाईट Khagaria.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
13. (i) अनुज्ञापन पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों को जॉचोपरांत रिक्तिवार मेधा क्रमांक प्रदर्शित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे।
    - (ii) तत्पश्चात जिला स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय सूचना पट्ट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष लिखित दावा/आपत्तियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदको को दिया जाएगा।
    - (iii) दावा/आपूत्ति प्राप्त होने की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रत्येक दावा/आपत्ति का विधि–सम्मत् निष्पादन करते हुए जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी एवं प्रत्येक दावा/आपत्ति के निष्पादन के संबंध में संक्षिप्त अभ्युक्ति कारण सहित अंकित की जाएगी।
    - (iv) अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरूद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष दायर कर सकेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त रिक्तिवार प्राप्त परिवादों का एक साथ निष्पादन करेंगे। साथ ही सभी परिवादों का निष्पादन परिवाद प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
    - (v) वैसे सभी मामलों में जिसमें निर्धारित अवधि के भी अंतिम मेधा सूची के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, अनुज्ञापन पदाधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। किन्तु जिन मामलों मे प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर किया गया हो, वैसे मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा आदेश पारित होने के बाद उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी।
    - (vi) जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

नोट :–

- आवेदक पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खींचा हुआ) तीन प्रति में संलग्न करना होगा तथा एक अभिप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र पर दाये कोने में चिहिन्त स्थान पर चिपकाना होगा।
- आवेदक को अपना मोबाईल संख्या आवेदन पत्र में हस्ताक्षर लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र में सबसे उपर पंचाचत/वार्ड संख्या एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत/वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं।
- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों एवं मार्क्सशीट की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तथा कम्प्युटर ज्ञान संबंधी प्रमाणपत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- संबंधित पंचायत/वार्ड का निवासी होने के लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- आचरण प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अथवा कार्यपालक दण्डाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण संबंधित शपथ पत्र जो छः महीने के पूर्व का निर्गत नहीं हो, की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- आवेदक को अपने जन वितरण प्रणाली की दुकान के संचालन हेतु भंडारण एवं वितरण स्थल का विवरण आवेदन में अंकित करना होगा।
- एक से अधिक पंचायत/वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदक के सभी आवेदन–पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे।
- आवेदक को निम्नांकित विन्दुओं से संबंधित कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष शपथित शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि :–
  - इनके संयुक्त परिवार में पूर्व से उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं है। (पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।)
  - इनके परिवार का कोई सदस्य मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं है।
  - ये अथवा इनके परिवार का कोई भी सदस्य आटा चक्की का मालिक नहीं है।
  - सरकार के लाभ का पद धारण नहीं करते हैं।
- आवेदक इस आशय का स्वघोषणा देंगे कि उनके द्वारा आवेदन में प्रविष्ट की गई सभी सूचना सही है तथा गलत सूचना पाये जाने पर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

आवेदन पत्र के अनुसूची 01 से 02 का प्रपत्र जिला के वेवसाईट Khagaria.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी **state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

PR. No.019142 (Food) 2025-26

जिलाधिकारी
खगड़िया

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है।